बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक....................../ पटना, दिनांक......................

सं0सं0–UM/F/118/2013

प्रेषक,

एस0 सिद्धार्थ
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन परियोजना हेतु दिनांक–31.03.2015 तक Committed Liabilities के रूप में शत्–प्रतिशत् राज्यांश ₹69,41,000.00 (उन्हत्तर लाख एकतालीस हजार) रुपये मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन परियोजना हेतु दिनांक–31.03.2015 तक Committed Liabilities के रूप में शत्–प्रतिशत् राज्यांश ₹69,41,000.00 (उन्हत्तर लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का कृषि एवं फल–सब्जी उत्पादों की बर्बादी को रोकने के लिए तथा किसनों की आमदनी को बढ़ाने के उदेश्य से राष्ट्रीय खाद्य मिशन एवं सभी राज्यों में राज्य खाद्य मिशन की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार का सब्सिडी का अंशदान क्रमशः 75 प्रतिशत् एवं 25 प्रतिशत् था।

3. भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के डी0 ओ0 नं0–MFPI/NMFP/BUDGET–2012–17 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक–28.02.2015 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP) को केन्द्रीय सहायता से अलग कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष–2015–16 से उक्त योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि उपलब्ध नही हो सकी।

4. इस क्रम में भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुरोध किया गया कि वित्तीय वर्ष–2014–15 तक जिन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु उनके सन्निहित राशि का भुगतान नही हो सका है अर्थात 31.03.2015 तक Committed Liabilities को राज्य सरकार अपने संसाधनों से भुगतान करें।

5. अतएव सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजनान्तर्गत 31.03.2015 तक ₹1,28,27,000.00 (एक करोड़ अठाईस लाख सताईस हजार) मात्र का Committed Liabilities के रूप में भुगतान राज्य सरकार द्वारा शत् प्रतिशत राज्यांश के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना अन्तर्गत उद्योग मित्र के संबंधित खाता में राज्यांश के रूप में ₹58.86 लाख मात्र जो अवशेष के रूप में बची हुयी है एवं शेष राशि ₹69.41 लाख का व्यय उक्त योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से की जायेगी।

6. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्य शीर्ष–01–खाद्य, लघु शीर्ष–103–खाद्य संसाधन, मांग संख्या–23, उप शीर्ष–0301–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, विपत्र कोड–P2408011030301, के विषय शीर्ष–33 01–सब्सिडी मद से विकलित होगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष–2015–16 यथेष्ट बजट उपबंध है। जिसका PFMS Code-9204 है।

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेगें। राशि का व्यय उक्त योजना अन्तर्गत दिनांक–31.03.2015 तक Committed Liabilities के रूप में संबधित इकाई को अनुमान्यता के आधार पर निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना के निर्गत आदेशानुसार की जायेगी।

8. राशि का भुगतान संबंधित इकाई को अनुमान्यता के आधार पर निर्गत आदेश के आलोक में उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

क्रमशः पृष्ट–02...

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (खा0 प्र0), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय बिहार, पटना होगें। जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगें।

10. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0, दिनांक–20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

11. योजना का कोड नं0–PFMS Code-9204 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड अवश्य अंकित करेंगे।

12. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–16.02.2016 के मद संख्या–23 में स्वीकृति संचिका संख्या– *UM/F/118/2013* के पृष्ट–60 / टि0 पर प्राप्त है।

13. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *UM/F/118/2013* के पृष्ट–63 / टि0 पर दिनांक 29/2/16 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–57/OSD दिनांक 27/2/16 है।

14. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. वित्त विभागीय पत्रांकः–2561 / वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ /
UM/F/118/2013
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ /
UM/F/118/2013
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.– प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ /
UM/F/118/2013
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.– निदेशक (खा0 प्र0), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–188 /
UM/F/118/2013
पटना, दिनांक 04/03/16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / बजट शाखा, उद्योग विभाग / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–3(उ0नि0) को तीन प्रतियों में / प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_food pro--Sanction Order/2015-16---------7